आवश्यक / बैठक / समयबद्ध

संख्या: 38 / 2016 / 2739 / 12-2-2016-एस.85 / 2008

प्रेषक,

दिनेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
झांसी / चित्रकूटधाम मण्डल।
2. जिलाधिकारी,
झांसी / जालौन / ललितपुर / बांदा / चित्रकूट / हमीरपुर एवं महोबा।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2016

विषय: रबी अभियान 2016-17 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 06 पी / 12-2-2016-एस.85 / 2008 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रबी 2016-17 के लिए अधिक फसलोत्पादन के लिए रणनीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि झांसी एवं चित्रकूट मण्डलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय पर दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 (शुक्रवार) को किया जायेगा।

3. रबी उत्पादकता गोष्ठी का समन्वय कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा उक्त गोष्ठी का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। आयोजित गोष्ठी में संबंधित विभाग के शासन स्तर के विशेष सचिव स्तर या उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

4. रबी गोष्ठी की उक्त तिथि में परिवर्तन भी मा0 मुख्य मंत्री जी / मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के मण्डलों में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत ही किया जा सकेगा अन्यथा यथासमय-यथास्थान की जायेगी।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(दिनेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 38/2016 / 2739 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लख्नऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान/वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सामान्य प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
15. संबंधित संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. संबंधित जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
18. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
20. निजी सचिव, मा0 राज्य मत्री, कृषि (श्री राजीव कुमार सिंह तथा श्री राधे श्याम सिंह), उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।